F.No. IWT-11011/123/2015-IWT
Government of India
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
(IWT Section)

Transport Bhawan

1, Parliament Street, New Delhi
Dated the Trebruary, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Uploading on the website on Ministry of Ports, Shipping & Waterways the draft subordinate rules to be framed under delegated legislation of Inland Vessels Act, 2021 – reg.

Please upload the following draft subordinate rule (sent through email) to be framed under delegated legislation of Inland Vessels Act, 2021 on the website of MoPSW for inviting objections/suggestions, to the following rules:

Draft Inland vessels (Fire Fighting Appliances) Rules 2022

- 2. Notice Board/What's New webpage will contain following content:
 - "The Draft Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules 2022, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), are hereby published for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days.
 - Objections or suggestions, if any, to the above draft rules may be addressed to the Director (IWT), Ministry of Ports, shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi- 110001 or by email at abhay.sarode@gov.in and uttam.mishra27@gov.in."

(Uttam Kumar Mishra)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: 23357558

Director, NIC Ministry of Ports, Shipping & Waterways Transport Bhawan, New Delhi- 110001. रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233654 CG-DL-E-22022022-233654

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] No. 138] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 03, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 03, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.िन. 141 (अ).—अंतर्देशीय जलयान [अग्निशमन उपकरण] नियम 2022 का मसौदा, जिसे केंद्र सरकार 2021 के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदे पर उस तारीख से तीस दिनों के बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा नंबर 439, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या abhay.sarode@gov.in और uttam.mishra27@gov.in ईमेल द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर संबोधित किया जा सकता हैं:

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. लघु शीर्षक प्रारंभ-

(1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान [अग्निशमन उपकरण] नियम 2022 कहा जाएगा।

1240 GI/2022 (1)

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की अंतिम तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ है [2021] का अंतर्देशीय जलयान अधिनियम; (2021 का 24)
 - (ख) "डेक्ड" का अर्थ है एक निरंतर जलरोधी वेदर डेक वाला जलयान, जो पोताग्र से दुम्बाल तक फैला हुआ है।
 - (ग) "मौजूदा जलयान" या "मौजूदा अंतर्देशीय जलयान" का अर्थ है, कोई भी अंतर्देशीय जलयान, जो कोई नया अंतर्देशीय जलयान नहीं है, जो नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (एफ) के तहत प्रदान की गई परिभाषा के दायरे में आता है।
 - (घ) "अंतर्देशीय जलयान" का अर्थ है अधिनियम की धारा 3 (वाई) के तहत परिभाषित किसी भी यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयान ।
 - (ड) "प्रमुख रूपांतरण या संशोधन" का अर्थ है निम्न में से कोई भी;
 - i) जलयान के सकल टन भार में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन
 - ii) जलयान के प्रकार का परिवर्तन
 - iii) प्रणोदन प्रणाली/मुख्य इंजन/ईंधन के प्रकार में परिवर्तन
 - (च) "नया अंतर्देशीय जलयान" का अर्थ किसी भी अंतर्देशीय जलयान से है जिसकी नौतल रखी गई है या जो नियमों के लागू होने की तारीख को या उसके बाद निर्माण के समान चरण में है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. अनुपालन की सीमा:

(1) सभी मौजूदा अंतर्देशीय जलयान, इन नियमों के लागू होने से पहले मौजूदा आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे;

बशर्ते कि मौजूदा अंतर्देशीय जलयान जो बड़े रूपांतरण या संशोधन से गुजरते हैं, इन नियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करेंगे, जहां तक इसे नामित प्राधिकारी द्वारा उचित और व्यावहारिक माना जाता है; और बशर्ते कि प्रणोदन प्रणाली/मुख्य इंजन/ईंधन के प्रकार आदि के परिवर्तन के मामले में, नए नियम केवल उन उपकरणों और प्रणालियों पर लागू होंगे।

बशर्ते कि मौजूदा जलयानों को इन नियमों के लागू होने के एक वर्ष के भीतर वहनीय अग्निशामक, अग्निशामक वस्त्रों, फायर एक्स, फायर बकेट और सैंडबॉक्स और इन नियमों में निर्दिष्ट सुरक्षा उपकरण योजना के प्रावधान की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

- (2) किसी भी नए अंतर्देशीय जलयान का मालिक/संचालक और मास्टर, यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान का निर्माण, रखरखाव और संचालन इन नियमों की आवश्यकताओं के अंतर्गत किया गया है और यह जलयान अपनी इच्छित सेवा के लिए उपयुक्त है।
- (3) किसी भी नए अंतर्देशीय जलयान को अधिनियम और अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 के तहत सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा जलयान अंतर्देशीय जलयान या वह उपकरण जिसे अंतर्देशीय जलयान को ले जाना चाहिए, के भौतिक डिजाइन सहित सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है, या वे जो प्रकृति में परिचालनात्मक या प्रक्रियात्मक हैं.:
- (4) उप नियम (1) से (3) के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी श्रेणी के जलयानों के लिए इन नियमों में दी गई आवश्यकताओं के अतिरिक्त आवश्यकताएँ लागू (या छूट प्रदान) कर सकती है।

(5) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, अधिनियम के तहत नियुक्त सर्वेक्षक खुद को संतुष्ट करेगा कि यह प्रदर्शित करने के लिए प्रक्रियाओं का सबूत है कि अंतर्देशीय जलयान इन आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाएगा।

4. उपकरण मानक और मार्गदर्शन

(1) उपकरण या मशीनरी का कोई विशेष भाग जो अंतर्देशीय जलयानों के साथ प्रदान किया जाएगा या जलयान पर ले जाया जाएगा, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे बीआईएस / आईएसओ आदि के अनुसार होगा।

5. फायर पंप

- (1) प्रत्येक डेक वाले जलयान को कम से कम एक बिजली संचालित पंप प्रदान किया जाएगा जो स्वतंत्र रूप से संचालित हो सकता है या उन जलयानों के मामले में जिनकी प्रणोदक शक्ति [375] किलोवाट से अधिक नहीं है, मुख्य इंजन संचालित जहां इंजन को हटाया जा सकता है- और यात्री जलयानों में कम से कम दो बिजली चालित पंप उपलब्ध कराए जाने हैं, जिनमें से एक स्थायी रूप से स्थापित है।
- (2) इस नियम के प्रयोजन के लिए सैनिटरी, गिट्टी, बिल्ज या सामान्य सेवा पंपों को अग्नि पंप के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

6. फायर पंप की क्षमता

कार्गो जलयानों के लिए फायर पंपों की न्यूनतम क्षमता 10 एम 3 / घंटा से कम नहीं होनी चाहिए, और यात्री जलयानों के लिए 20 एम 3 / घंटा से कम नहीं होनी चाहिए। 12 मीटर से कम लंबाई के जलयानों के लिए पंप क्षमता क्रमशः 6 एम 3 / घंटा और 12 एम 3 / घंटा तक कम हो सकती है, या वैकल्पिक रूप से, नामित प्राधिकारी द्वारा एक पोर्टेबल इंजन चालित पंप स्वीकार किया जा सकता है।

बिना किसी मशीनरी के गैर-स्वचालित नौकाओं के मामले में, एक पोर्टेबल इंजन चालित फायर पंप पर्याप्त हो सकता है।

7. फायर पंप और फायर मेन की व्यवस्था

- (1) फायर पंप सक्शन की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि पंप सेवा में आने वाले सबसे हल्के ड्राफ्ट पर कुशलता से काम करेगा।
- (2) कार्गो जलयानों में, यदि मुख्य फायर पंप तेल से चलने वाले बॉयलर या आंतरिक दहन प्रकार की प्रणोदन मशीनरी वाले स्थान पर स्थित है, तो एक आपातकालीन फायर पंप प्रदान किया जाएगा और आपातकालीन पंप और इसकी शक्ति का स्रोत और समुद्री कनेक्शन के बाहर उस स्थान पर स्थित होगा, जहाँ मुख्य अग्नि पंप स्थित है:
- यदि उप-नियम (2) के तहत उपलब्ध किया गया आपातकालीन फायर पंप बिजली द्वारा संचालित होता है, तो 12 मीटर से कम लंबाई के जलयानों के लिए पंप की क्षमता कम से कम 10 एम 3 / घंटा और 6 एम 3 / घंटा होनी चाहिए।
- यदि उप-नियम (2) के तहत उपलब्ध किया गया आपातकालीन फायर पंप हाथ से संचालित होता है, तो उसे से कम 10 मिमी व्यास के एक नोजल और नली के साथ उपलब्ध जाना चाहिए जो जलयान के किसी भी हिस्से पर निर्देशित किया जा सके।
- बशर्ते कि यदि स्थायी रूप से स्थापित मुख्य फायर पंप उपलब्ध हो; तो एक वहनीय आपातकालीन फायर पंप स्वीकार किया जा सकता है।
- (3) यात्री जलयानों में, अलग-अलग मुख्य डिब्बों में फायर पंप स्थापित किए जाने हैं ताकि मुख्य डिब्बे में आग या बाढ़ की स्थिति में एक पंप उपलब्ध हो और एक पंप वहनीय प्रकार का हो।
- (4) यदि आपातकालीन फायर पंप प्रदान किया जाता है, तो मुख्य फायर पंप वाले मशीनरी स्पेस के भीतर फायर मेन के सेक्शन को अलग करने के लिए आइसोलेटिंग वाल्व या बाकी फायर मेन से पंपों को आसानी से सुलभ और टिकाऊ स्थिति में फिट किया जाएगा। मशीनरी स्पेस

8. फायर मेन और हाइड्रेंट

(1) 24 मीटर लंबाई और उससे अधिक के जलयानों में, एक फायर मेन उपलब्ध कराया जाना है ताकि कम से कम पानी की बौछार जलयान के किसी भी हिस्से तक पहुंच सके। यात्री जलयानों में, जलयान के किसी भी हिस्से पर अलग-अलग स्थानों में कम से कम दो हाइड्रेंट पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। बोर्ड पर बिना मशीनरी के गैर-स्व-चालित नौकाओं के मामले में, फायर मेन प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) गर्मी से आसानी से अप्रभावी होने वाली सामग्री का उपयोग आग बुझाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और जहां स्टील पाइप का उपयोग किया जाता है, उन्हें आंतरिक और बाहरी रूप से जस्ती किया जाना चाहिए।

फायर मेन के लिए कास्ट आयरन पाइप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

- (3) सभी फायर पंपों के संयोजन में राहत वाल्व प्रदान किए जाएंगे यदि पंप जल सेवा पाइप, हाइड्रेंट और होसेस के डिजाइन दबाव से अधिक दबाव विकसित करने में सक्षम हैं और इन वाल्वों को इस तरह से रखा और समायोजित किया जाना है कि फायर मेन सिस्टम के किसी भी हिस्से में अत्यधिक दबाव न पड़े।
- (4) हाइड्रेंट और वाल्व या कॉक्स की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वे हमेशा आसानी से उपलब्ध हों

9. फायर होसेस और नोजल

- (1) स्वीकृत फायर होसेस गैर-नाशयोग्य सामग्री के होंगे और यह लंबाई में पर्याप्त होने चाहिए ताकि अपेक्षित उपयोग के समय किसी भी स्थान से इन पर पानी की बौछार डाली जा सके।
- (2) प्रत्येक होज को एक नोजल और आवश्यक कपलिंग प्रदान किया जाएगा।
- (3) इस अनुबंध में "फायर होसेस" के रूप में निर्दिष्ट होज़, किसी भी आवश्यक फिटिंग और टूल्स के साथ, जल सेवा हाइड्रेंट या कनेक्शन के पास विशिष्ट स्थितियों में उपयोग के लिए तैयार रखे जाएंगे।
- (4) फायर होसेस की लंबाई कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए, लेकिन निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए
 - (क) मशीनरी संबंधी स्थान में 15 मीटर
 - (ख) अन्य स्थानों और खुले डेक में 20 मीटर
- (5) जब तक जलयान में प्रत्येक हाइड्रेंट के लिए एक होज़ और नोजल प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक होज़ कपलिंग और नोजल की पूर्ण अंतर-परिवर्तनीयता होगी।
- (6) इस नियम के प्रयोजन के लिए, होज का व्यास अधिकतम 64 मिमी और न्यूनतम 38 मिमी होगा और उन्हें पंक्तिबद्ध होना चाहिए।
- (7) कम से कम 12 [मिमी] बोर के दोहरे उद्देश्य वाले नोजल (जेट/स्प्रे) के साथ कम से कम दो फायर होज़ प्रदान किए जाने चाहिए और इन्हें हाइडेंट के पास रखे होज़ बॉक्स में रखा जाना चाहिए।

10. वहनीय अग्निशामक यंत्र

- (1) डिब्बों में आग बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अग्निशामक का माध्यम उपयुक्त होना चाहिए।।
- (2) सभी अग्निशामक राष्टीय/अंतर्राष्टीय मानकों के होने चाहिए।
- (3) अपेक्षित वहनीय शुष्क पाउडर अग्निशामकों की क्षमता 5.0 किग्रा से कम नहीं होनी चाहिए और अन्य अग्निशामकों में कम से कम 5.0 किग्रा शुष्क पाउडर अग्निशामक के बराबर आग बुझाने की क्षमता होनी चाहिए।
- (4) फोम अग्निशामक, जहां आवश्यक हो, की न्यूनतम क्षमता 9 लीटर होनी चाहिए।
- (5) अग्निशामकों को आसानी से सुलभ स्थिति में रखा जाना चाहिए।
- (6) उपयुक्त प्रकार के वहनीय अग्निशामक यंत्र निम्नानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (7) निम्नलिखित स्थानों पर, जैसा लागू हो, एक वहनीय अग्निशामक उपलब्ध कराया जाएगा:
 - (क) व्हीलहाउस में;
 - (ख) आवास स्थान के प्रत्येक प्रवेश द्वार के करीब:
 - (ग) आवास से सीधे पहुंच योग्य नहीं होने पर हीटिंग / खाना पकाने के उपकरण या समान अग्नि जोखिम वाले किसी अन्य उपकरण वाले सर्विस स्पेस के प्रत्येक प्रवेश द्वार के करीब;
 - (घ) मशीनरी स्थान के प्रत्येक प्रवेश द्वार के करीब:

- (ड.) मशीनरी स्पेस में उपयुक्त स्थान/ डेक के नीचे इस तरह से कि कोई भी अग्निशामक यंत्र से पैदल दूरी 10 मीटर की दूरी से अधिक न हो।
- (च) यात्री, जलयानों में, एक अतिरिक्त उपयुक्त अग्निशामक के लिए उपलब्ध कराया जाएगा
 - (i) यात्री क्षेत्रों में सकल भू क्षेत्र की 120 वर्ग मी या उसके भाग की प्रत्येक इकाई
 - (ii) 10 केबिनों का प्रत्येक समूह, या उसका भाग।
- (8) कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामकों को आवास स्थलों में नहीं रखा जाएगा।

11. मशीनरी स्थानों में गैर-वहनीय अग्निशामक

जलयानों की लंबाई 30 मीटर से अधिक और इंजन की कुल शक्ति 750 किलोवाट और उससे अधिक होने की स्थिति में, मशीनरी स्पेस और अन्य जलयानों में कम से कम 45 लीटर क्षमता का कम से कम एक फोम एक्सटिंगुइशर होना चाहिए, मुख्य मशीनरी स्थान में 15 किलो क्षमता का ड्राई पाउडर एक्सटिंगुइशर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

12. स्थायी अग्नि संसूचन और स्थायी अग्निशामक प्रणाली

- (1) मिश्रित सामग्री से निर्मित कार्गो जलयानों में, मुख्य मशीनरी स्थान जहां कुल बिजली उत्पादन 375 किलोवाट और उससे अधिक है, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने वाली एक स्थायी अग्नि संसूचन प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए।
- (2) 550 किलोवाट और उससे अधिक के कुल बिजली उत्पादन वाले सभी यात्री जलयानों में मुख्य मशीनरी स्थान में ऐसी स्थायी अग्निशामक प्रणाली प्रदान की जानी है।
- (3) उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट कुल बिजली उत्पादन के साथ मुख्य मशीनरी स्थान जो लगातार मानवयुक्त नहीं हैं, उन्हें अग्नि संसूयन और अलार्म सिस्टम प्रदान किया जाना है।
- (4) स्थायी अग्निशामक एजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या अन्य स्वीकार्य एजेंट जैसे एचएफसी 227, आईजी-541 और एफके-5-1-12 हो सकते हैं।

13. फायरमैन की पोशाक

- (1) स्लीपिंग केबिनों के साथ 45 मीटर और उससे अधिक लंबाई के प्रत्येक यात्री जलयान में कम से कम एक फायरमैन की पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) एक फायरमैन की पोशाक में निम्न शामिल होंगे:
 - (क) कार्मिक उपकरण जिसमें शामिल हैं:
 - (i) त्वचा को गर्मी से बचाने के लिए सुरक्षात्मक सामग्री वाले वस्त्र
 - (ii) आग से जलना और आग से और भाप से जलने से बचने के प्रावधान होना चाहिए
 - (iii) सुरक्षात्मक कपड़ों की सतह जलरोधी होनी चाहिए;
 - (iv) रबर के जूते और दस्ताने या अन्य विद्युतीय रूप से कोई संवाहक सामग्री नहीं होनी चाहिए;
 - (v) प्रभाव के दौरान प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने वाला मजबूत हेलमेट;
 - (vi) कम से कम तीन घंटे जलने की अवधि के साथ एक अनुमोदित प्रकार का विद्युत सुरक्षा लैंप (हाथ की लालटेन); तथा
 - (vii) एक कुल्हाड़ी; तथा
 - (ख) एक स्वीकृत प्रकार के श्वास उपकरण, स्पेयर चार्ज सहित या श्वास वायु कंप्रेसर
- (3) 45 मीटर और उससे अधिक के प्रत्येक जलयान को दो श्वास तंत्र के साथ स्पेयर चार्ज या श्वास वायु कंप्रेसर प्रदान किया जाना है, जिसमें उप नियम 2 (बी) में आवश्यक श्वास तंत्र शामिल हो सकता है।

14. फायर एक्स

15 मीटर से अधिक लंबे प्रत्येक जलयान को कम से कम एक फायर एक्स प्रदान किया जाएगा

15. फायर बकेट:

जलयान की प्रत्येक 10 मीटर लंबाई के लिए रस्सी के साथ कम से कम एक फायर बकेट प्रदान किया जाना चाहिए।

16. स्कूप के साथ सैंड बॉक्स

प्रत्येक जलयान में मशीनरी और बायलर स्पेस में स्कूप के साथ कम से कम एक सैंड बॉक्स प्रदान किया जाना चाहिए और रेत की मात्रा 0.076 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 10 मीटर से कम लंबाई के जलयानों के लिए रेत बॉक्स की क्षमता 50% कम की जा सकती है।

17. रोल-ऑन/रोल ऑफ जलयानों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं

- (1) जब मोटर वाहनों को उनके टैंकों में अपने स्वयं के उपयोग के लिए ईंधन के साथ ले जाने का इरादा है, तो प्रत्येक वाहन डेक पर दो पोर्टेबल एक्सिटेंगुइशर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें से एक को आगे के हिस्से में और एक को बाद के हिस्से में रखा जाएगा। बर्तन। यदि डेक पर वाहनों की संख्या 50 से अधिक है, तो प्रत्येक वाहन डेक पर चार पोर्टेबल एक्सिटेंगुइशर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (2) संलग्न रो-रो डेक स्थान को एक अनुमोदित निश्चित दबाव वाले पानी के छिड़काव प्रणाली के साथ फिट किया जाना है और स्कूपर्स को फिट किया जाना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा पानी तेजी से बोर्ड के ऊपर से निकल जाए।

18. टैंकरों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता

पेट्रोलियम तेल, रसायन और तरलीकृत गैसों को ले जाने वाले टैंकरों में अग्निशमन के प्रावधान इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज के किसी भी सदस्य की नियम आवश्यकताओं का पालन करना है।

19. सुरक्षा उपकरण योजना

24 मीटर से अधिक लंबाई के अंतर्देशीय जलयानों में विभिन्न जीवन रक्षक उपकरणों के स्थान को दर्शाने वाले अनुमोदित सुरक्षा उपकरण योजना की एक प्रति बोर्ड पर प्रदर्शित होनी चाहिए और आपात स्थिति में उपयोग किए जाने वाले सभी अग्नि नियंत्रण और अग्निशामक उपकरण बोर्ड पर लगाए/ले जाए जाते हैं।

> [फा .सं.आईडब्लूटी-11011/91/2021 आईडब्लूटी] सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

G.S.R. 141(E).—The draft of the Inland Vessels [Fire Fighting Appliances] Rules 2022, which the Central Government proposes to make, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act of 2021(24 of 2021), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at abhay.sarode@gov.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person concerning the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

(2) Short Title Commencement

- (1) These Rules shall be called the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules 2022.
- (2) They shall come into force on the date of its their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--
 - (a) "Act" means the Inland Vessels Act of [2021]; (24 of 2021)
 - (b) "Decked" vessel means vessel with a continuous watertight weather deck that extends from stem to stern
 - (c) "Existing vessel" or "existing inland vessel" means any inland vessel which is not any new inland vessel that falls within the ambit of the definition provided under clause (f) of sub-rule (1) of Rule 3
 - (d) "inland vessel" means any mechanically propelled inland vessel as defined under section 3(y) of the Act.
 - (e) "Major conversion or modification" means any of the following;
 - i) Change in Gross Tonnage of the vessel by more than ten per centum
 - ii) Change of vessel type
 - iii) Change of propulsion system/ main engines/ type of fuel
 - (f) "New inland vessel" means any inland vessel whose keel is laid or which is at a similar stage of construction on or after the date of coming into force of the Rules
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Threshold of Compliance

(1) All existing inland vessels shall comply with the requirements existing prior to coming into force of these rules; Provided that the existing inland vessels that undergo major conversion or modification shall comply with the requirements specified in these rules, as far as it is considered reasonable and practicable by the Designated Authority; and provided that in the case of change of propulsion system/main engines/ type of fuel etc, the new rules will apply to that equipment and systems only.

Provided that existing vessels shall comply with the requirements for provision of Portable fire extinguishers, fire fighters outfits, fire axe, fire buckets and sandbox and the Safety Equipment Plan as specified in these Rules within one year of coming into force of these Rules.

- (2) The owner/operator and master of any new inland vessel, shall ensure that the vessel is constructed, maintained and operated under the requirements of these rules and the vessel is suitable for its intended service.
- (3) No new inland vessel shall be issued with the certificate of survey under the Act and the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022, unless such vessel complies with the safety requirements including the physical design of the inland vessel or equipment that the inland vessel must carry, or those which are operational or procedural in nature,:
- (4) Notwithstanding sub rule (1) to (3), the State Government may apply requirements in additional (or exempt) to any category of vessels.
- (5) For the purpose of these Rules, the Surveyor appointed under the Act shall satisfy himself that there is evidence of procedures in place to demonstrate that the inland vessel will be operated in accordance with these requirements.

4. Equipment Standards and Guidance

(1) Any particular piece of equipment or machinery that the inland vessels shall be provided with or carried onboard, shall be in accordance with a national or international standard such as BIS/ ISO etc.

5. Fire pumps

- (1) Every decked vessel shall be provided with at least one power operated pump which may be independently driven or in the case of vessels with propulsive power not more than [375] kW, main engine driven where engine can be declutched- and passenger vessels are to be provided with at least two power driven pumps, one of which is permanently installed.
- (2) For the purpose of this Rule, sanitary, ballast, bilge or general service pumps may be accepted as fire pumps.

6. Capacity of fire pump

The minimum capacity of fire pumps shall not be less than be 10 M3/hr for Cargo vessels, and not less than 20 M3/hr for Passenger Vessels. The pump capacities may be reduced to 6 m3/hr and 12 m3/ hr respectively for vessels of length less than 12 m, or alternatively, a portable engine driven pump may be accepted by the Designated Authority.

In the case of non-self propelled barges without any machinery on board, a portable engine driven fire pump may be sufficient.

7. Arrangement of fire pumps and fire main

- (1) The fire pump suction shall be so arranged that the pump will operate efficiently at the lightest draught likely to be encountered in service.
- (2) In cargo vessels, if the main fire pump is located in the space containing oil fired boiler or internal combustion type propelling machinery, an emergency fire pump shall be provided and the emergency pump & its source of power and sea connection shall be situated outside the space where main fire pump is located:

If the emergency fire pump as provided under sub-rule (2) is operated by power, the pump capacity shall be at least 10 M3/hr and 6 m3/hr for vessels of less than 12 m in length.

If the emergency fire pump as provided under sub-rule (2) is manually operated, it shall be provided with hose and a nozzle of at least 10 mm diameter capable of being directed on to any part of the vessel.

Provided that if a permanently installed main fire pump is available; a portable emergency fire pump may be accepted.

- (3) In passenger vessels, the fire pumps are to be installed in separate main compartments so that one of the pumps will be available in case of fire or flooding in a main compartment and one of the pumps may be portable type.
- (4) If the emergency fire pump is provided, isolating valves to separate the section of the fire main within the machinery space containing the main fire pump or pumps from the rest of the fire main shall be fitted in an easily accessible and tenable position outside the machinery space

8. Fire main and hydrant

- (1) In vessels of 24 m length and over, a fire main is to be provided so that at least one jet of water can reach any part of the vessel. In passenger vessels, any point of the vessel is to be capable of being reached from at least two hydrants in different locations. In the case of non-self-propelled barges without machinery on board, fire main need not be provided.
- (2) Materials readily rendered ineffective by heat are not to be used for fire mains and where steel pipes are used they are to be galvanized internally and externally.

Cast iron pipes are not to be used for fire mains.

- (3) Relief valves shall be provided in conjunction with all fire pumps if the pumps are capable of developing a pressure exceeding the design pressure of the water service pipes, hydrants and hoses and these valves are to be so placed and adjusted as to prevent excessive pressure in any part of the fire main system
- (4) The positions of hydrants and valves or cocks are to be such that they are always readily accessible

9. Fire hoses and nozzles

- (1) Approved fire hoses shall be of non-perishable material and shall be sufficient in length to project a jet of water to any of the space in which they may be required to be used
- (2) Each hose shall be provided with a nozzle and the necessary couplings
- (3) Hoses specified in this Annex as "fire hoses" shall, together with any necessary fittings and tools, be kept ready for use in conspicuous positions near the water service hydrants or connections.
- (4) Fire hoses shall have a length of at least 10 m, but not more than
 - (a) 15 m in machinery spaces
 - (b) 20 m in other spaces and open decks
- (5) Unless one hose and nozzle is provided for each hydrant in the vessel, there shall be complete inter-changeability of hose couplings and nozzles.
- (6) For the purpose of this Rule, the hose diameter shall be maximum of 64 mm and minimum of 38 mm and they shall be lined.
- (7) At least two fire hoses with dual purposes nozzles (jet/spray) of not less than 12 [mm] bore shall be provided and these are to be stowed in hose boxes placed close to the hydrants.

10. Portable fire extinguishers

- (1) The extinguishing medium employed is to be suitable for extinguishing fires in the compartments in which they are intended to be used.
- (2) All fire extinguishers are to be of National/International Standards.
- (3) The capacity of required portable dry powder fire extinguishers shall not be less than 5.0 kg. and other extinguishers shall have a fire extinguishing capability at least equivalent to that of a 5.0 Kg dry powder fire extinguisher.
- (4) Foam fire extinguishers, where required, are to have a minimum capacity of 9 litres.
- (5) Extinguishers are to be stowed in readily accessible positions
- (6) Portable fire extinguishers of appropriate type shall be provided as follows.
- (7) One portable fire extinguisher shall be provided, in the following locations, as applicable:
 - (a) in the wheelhouse;

- (b) Close to each entrance to accommodation spaces;
- (c) Close to each entrance to service spaces containing heating/cooking equipment or any other equipment having similar fire risk when not directly accessible from the accommodation;
- (d) Close to each entrance to machinery spaces;
- (e) in suitable position/s below deck in the machinery space such that no location in space is more than 10 m walking distance from an extinguisher.
- (f) in passenger vessels, one additional appropriate fire extinguisher shall be provided for
 - (i) each unit of 120 m², or part thereof, of the gross floor area in passenger areas
 - (ii) each group of 10 cabins, or part thereof.
- (8) Carbon dioxide fire extinguishers shall not be placed in accommodation spaces.

11. Non-Portable Fire extinguishers in machinery spaces

In case of vessels exceeding 30 metres length and having total power of engines 750 kW and above, at least one foam extinguisher of capacity not less than 45 litres shall be provided in the machinery space and in other vessels, a 15 kg capacity dry powder extinguisher is to be provided in the main machinery space.

12. Fixed fire detection and fixed fire extinguishing system

- (1) In cargo vessels constructed of composite material, main machinery spaces where total power output is 375 kW and above are to be provided with a fixed fire extinguishing system complying with National/ International Standards.
- (2) In all passenger vessels with total power output of 550 kW and above are to be provided with such fixed fire extinguishing system in main machinery space.
- (3) Main machinery spaces with total power output as specified in sub-rule (1) and (2) which are not continuously manned are to be provided with a fire detection and alarm system.
- (4) The fixed fire extinguishing agents may be of Carbon dioxide, water or other acceptable agents such as HFC 227, IG-541 and FK-5-1-12.

13. Fireman's outfit

- (1) Every passenger vessel of length 45 m and above with sleeping cabins shall be provided with at least one fireman's outfit.
- (2) A fireman's outfit shall consist of:
 - (a) personnel equipment comprising:
 - (i) protective clothing of material to protect the skin from the heat radiating
 - (ii) from the fire and from burns and scalding by steam and the outer
 - (iii) surface of protective clothing shall be water-resistant;
 - (iv) boots and gloves of rubber or other electrically no conducting material;
 - (v) a rigid helmet providing effective protection against impact;
 - (vi) an electric safety lamp (hand lantern) of an approved type with a minimum burning period of three hours; and
 - (vii) an axe; and
 - (b) breathing apparatus of an approved type, with spare charges or breathing air compressor
- (3) Every vessel of 45 m and above are to be provided with two breathing apparatus with spare charges or breathing air compressor, which may include the breathing apparatus required in sub rule 2(b).

14. Fire Axe

Every vessel exceeding 15 meters in length shall be provided with at least one fire axe.

15. Fire Buckets:

Minimum one Fire Bucket with lanyard should be provided for every 10m of length of the vessel

16. Sand box with scoop

In very vessel at least one sand box with scoop in machinery and boiler space shall be provided and quantity of sand shall not be less than 0.076 cubic meters. For vessels of less than 10 m length the capacity of sand box may be reduced by 50 %.

17. Additional requirements for Roll- on / Roll off vessels

- (1) When it is intended to carry motor vehicles with fuel for their own use in their tanks, two portable extinguishers shall be provided on each vehicle deck, one of which is to be positioned in the fore part and one in the after part of the vessel. Four portable extinguishers shall be provided on each vehicle deck if the number of vehicles on the deck exceeds 50.
- (2) Enclosed ro-ro deck spaces are to be fitted with an approved fixed pressure water spraying system and scuppers are to be fitted so as to ensure that such water is rapidly discharged overboard.

18. Additional requirement for tankers

The provisions for fire-fighting in tankers carrying petroleum oils, chemicals and liquefied gases are to comply with the rule requirements of any member of the International Association of Classification Societies.

19. Safety Equipment Plan

Inland vessels more than 24 m in length are to have a copy of approved Safety Equipment plan displayed on board showing the location of various Life saving appliances and all the Fire Control and Fire Fighting Appliances fitted/carried on board to be used in an emergency.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]
SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)